संख्या-33/2021/2775/96-आयुष-1-2021-214/2018टी0सी0

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 13 अगस्त, 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर की भूमि का समतलीकरण एवं अन्य विविध कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् आपके पत्र संख्या-37/347/2021-22/योजना; दिनांक 04.08.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर की भूमि का समतलीकरण एवं अन्य विविध कार्य के संबंध में धनराशि रू0-399.89 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि रू0-399.89 लाख (रूपये तीन करोड़ निन्यानवे लाख नवासी हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. व्यय वित्त समिति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. प्रायोजना में 1005.79 लाख मिट्टी भराई का प्राविधान सम्मिलित है, जिसमें से 50 प्रतिशत मिट्टी भराई का कार्य सर्वप्रथम ग्राम्य विकास विभाग के सहयोग से मनरेगा द्वारा कराये जाने का व्यय वित्त समिति का निर्देश है। तद्नुसार सर्वप्रथम उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सम्पन्न करने के पश्चात् स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार व्यय किया जाय।
4. मूल प्रायोजना के सक्षम स्तर के अनुमोदन से पूर्व ही विशेष परिस्थितियों/तात्कालिकता के दृष्टिगत मिट्टी भराई हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अतः स्वीकृत की जा रही धनराशि को प्रायोजना के अनुमोदन के पश्चात् इस हेतु (मिट्टी भराई हेतु) अनुमन्य धनराशि के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।
5. निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
6. निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
8. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
9. निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
10. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें 800-अन्य व्यय 08-आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-3-905/दस-2021-2022, दिनांक 13.08.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-33/2021/2775(1)/96-आयुष-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) जिलाधिकारी, गोरखपुर (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(5) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(6) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(8) सम्बनिधत अधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(9) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10)गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।